Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to include Bhojpuri, Rajasthani and Bhoti language in the Eighth Schedule to the Constitution-laid.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी को अभी तक संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल नही किया गया है जबकि यह तीनों भाषाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है | भोजपुरी भाषा को मॉरीशस ने, भोटी भाषा को भूटान ने तथा राजस्थानी भाषा को नेपाल ने पहले ही मान्यता दे रखी है| भारत में इस सन्दर्भ में 1969 से लेकर अब तक 19 बार गैर- सरकारी विधेयक लाए जाने के बावजूद अभी तक उसपर कोई कार्रवाई नही हुई जबकि भोजपुरी भाषा देश के विभिन्न हिस्सों में जैसे मुख्य रूप से पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी झारखण्ड के क्षेत्रों में बोली जाती है| आकड़ों के अनुसार, 16 देशो में लगभग 20 करोड़ लोगो द्वारा भोजपुरी भाषा बोली जाती हैं |

पूरे विश्व में भोजपुरी भाषा ब्राज़ील, फिजी, गुयाना, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद और टोबागो आदि देशों में बोली जा रही है |

अतः भारत सरकार से भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी भाषाओं को संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल करने की मांग करता हूँ |